पंजीकरण तिथि - 15.04.2021 से 14.05.2021 तक

रेरा पंजीकरण संख्या : **UPRERAPRJ214926**
वेबसाइट : **www.up-rera.in**

पंजीकरण 2021 पुस्तिका

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए : www.upavp.in पर लाग आन करें।

जागृति विहार (विस्तार) योजना सं.-11, मेरठ

में भूखण्ड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

हमारा प्रयास सबको आवास

IS 15700 : 2005
सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.
Website : http://www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11

मेरठ के विशेष आकर्षण

1. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा मेरठ नगर में वर्ष 1973 से योजनायें विकसित की जानी प्रारम्भ की गयी।
2. मेरठ नगर में अब तक कुल 8 योजनायें विकसित की गयीं जिनमें मंगल पाण्डे नगर, शास्त्री नगर एवं जागृति विहार, मेरठ की पॉश कालोनियों में हैं।
3. कुल 1400 एकड़ क्षेत्र का विकास किया गया एवं 27000 सम्पत्तियां सृजित कर आवंटित की गयी।
4. मेरठ शहर का प्रथम मल्टीप्लैक्स, पी0वी0एस0 मॉल शास्त्री नगर योजना में।
5. परिषद योजनाओं में प्राथमिक विद्यालय से डिग्री कॉलिज तक की सुविधा।
6. परिषद योजनाओं में भारत संचार निगम लि0, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, वाणिज्य कर व भविष्य निधि कार्यालय के साथ ही अन्य विभागों के कार्यालय।
7. परिषद योजनाओं में सभी प्रतिष्ठित दूरसंचार (सेलुलर) कम्पनियों के कार्यालय।
8. प्रस्तावित योजना जागृति विहार (विस्तार), वर्तमान जागृति विहार योजना व शास्त्री नगर योजना से सटी हुई है।
9. लाला लाजपत राय मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलिज) व अन्य प्रतिष्ठित अस्पतालों के समीप स्थित।
10. चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय व सम्बद्ध व्यवसायिक संस्थानों के समीप स्थित।
11. प्रस्तावित योजना से हो कर मेरठ नगर की इनर रिंगरोड प्रस्तावित।
12. रैपिडरेल ट्रांजिट सिस्टम का स्टेशन योजना के समीप प्रस्तावित।

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया।

उद्देश्य

(अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।

(स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।

(द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों व दिव्यांगों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।

(ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त उपनगरीय क्षेत्रों में भी आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराना।

(न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते

हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।

(फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे–विद्युत– आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित होती हैं।

परिषद की योजनाओं में उपलब्ध सम्पत्तियों का आवंटन पंजीकृत आवेदकों के मध्य लाटरी द्वारा किया जायेगा।

लोकेशन मैप

जागृति विहार

(विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ
सेक्टर 2

लोकेशन मैप

जागृति विहार

(विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ

सेक्टर 3

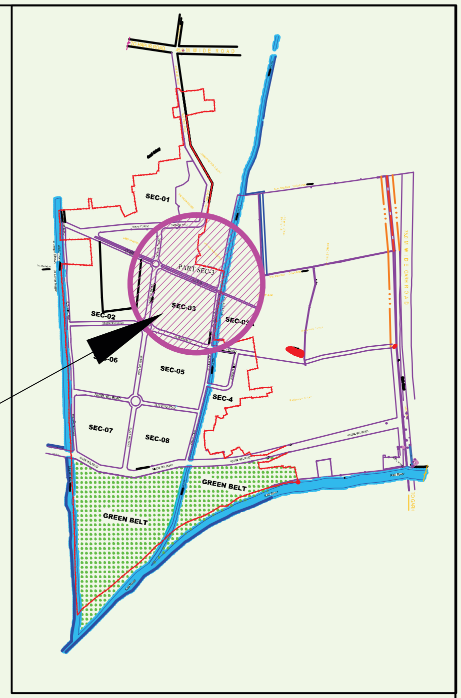

जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ
भूखण्डों का विवरण

योजना का नाम	सेक्टर	मानक भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग0मी0 में)	भूखण्डों की संख्या	मूल्य भूमिदर (प्रति वर्ग0मी0)	पंजीकरण धनराशि (रु0 लाख में)
जागृति विहार (विस्तार), योजना सं0–11, मेरठ।	2	200.00	130	21900.00	2.20
	3	300.00	26	21900.00	3.30
		264.50	12	21900.00	2.90
		200.00	20	21900.00	2.20
		136.00	18	21900.00	1.50
		127.50	101	21900.00	1.40

एक मुश्त भुगतान विकल्प देने पर

आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भवन/भूखण्ड के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।

किश्तों में भुगतान विकल्प देने पर

भूखण्डों में पात्रता चयन के पश्चात भूखण्ड के मूल्य में 12 प्रतिशत फ्री–होल्ड शुल्क को जोडकर 50 प्रतिशत धनराशि एक माह में (पंजीकरण धनराशि सहित) एवं शेष 50 प्रतिशत धनराशि 2 वर्षों की त्रैमासिक किश्तो में (दिनांक 01.04.2020 को एस0बी0आई0 द्वारा प्रभावी MCLR (7.95%)+1%=8.95% ब्याज सहित) देय होगी। किश्तों का भुगतान प्रदेशन पत्र जारी होने के साथ ही प्रभावी होगा।

नोट :

- एक मुश्त भुगतान विकल्प वाले आवेदको को आवंटन में वरीयता दी जायेगी। लाटरी ड्रा सर्वप्रथम एक मुश्त भुगतान वाले आवेदको के मध्य किया जायेगा। यदि इसके पश्चात भूखण्ड अवशेष रहते हैं तो किश्तो के विकल्प वाले आवेदको के मध्य सार्वजनिक लाटरी द्वारा से आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।
- तलिका में दर्शायी गयी भूखण्डों की संख्या संशोधित/परिवर्तित हो सकती है।
- भूखण्ड की तालिका में अंकित क्षेत्रफल मानक के अनुरूप हैं। कार्नर के भूखण्डों में क्षेत्रफल कम या अधिक हो सकता है। अतः भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी/वृद्धि होने की दशा में तदनुसार धनराशि देय होगी।
- परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में आवंटी को दिनांक 01.04.2020 को प्रभावी एस0बी0आई0 की ब्याज दर MCLR (7.95%)+1% अर्थात 8.95 प्रतिशत के अनुसार उसी आवंटी को भुगतान किया जायेगा, जो अपनी किश्तें जमा करने में कभी डिफाल्टर न हुआ हो अथवा धनराशि एकमुश्त जमा कर दिया हो। यह भी कि उक्त ब्याज उस तिथि तक देय होगा जिस तिथि से परिषद द्वारा कब्जा दिये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की जाये। "Force majure" की स्थिति में एवं किसान आन्दोलन की वजह से हुये विलम्ब पर यह भुगतान देय नहीं होगा। इस सम्बंध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।
- भूखण्डों की स्थिति के अनुरूप पी0एल0सी0 (कार्नर सम्पत्ति पर 10 प्रतिशत, पार्क फेसिंग/ग्रीन बैल्ट पर 5 प्रतिशत) अतिरिक्त धनराशि देय होगी। यदि किसी भूखण्ड की परिस्थिति में कार्नर, पार्क फेसिंग/ग्रीन बैल्ट दोनों सुविधाएं अनुमन्य हो रही हैं, तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 15 प्रतिशत अधिक होगा। उक्त के अतिरिक्त भूखण्ड/भवन के कुल मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्री–होल्ड शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
- न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा आवंटन पत्र में उल्लिखित मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदानुसार आवंटी को उसका भुगतान करना होगा। इस संबंध में कोई विवाद मान्य न होगा।
- प्रत्येक आवंटी को वाटर/सीवर कनेक्शन हेतु रू0 3500.00 अतिरिक्त देय होगा। आवंटन/मांग पत्र में अतिरिक्त विविध व्यय के रूप में 0.25 प्रतिशत विज्ञापन शुल्क, रू0 354.00 अनुबन्ध हेतु एवं रू0 120.00 प्रति साईट प्लान हेतु अतिरिक्त देय होगा।
- प्रदेशन पत्र निर्गत होने के उपरान्त राज्य सरकार के कोई कर की यदि देयता होती है तो आवेदक को भुगतान करना होगा। यदि उपरोक्त के कारण या अन्य कारणों से शुल्क में वृद्धि होगी तो वह आवंटी द्वारा देय होगी।
- भूखण्ड का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प डयूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- आवंटन में परिषद/शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- नगर पालिका/स्थानीय निकाय अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृहकर, जलकल आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

1. भुगतान का तरीका

(एकमुश्त भुगतान की दशा में)

1.1 पात्रता चयन के पश्चात आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन तिथि से भूखण्ड के कुल मूल्य का 60 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर भूखण्ड के मूल्य पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।

(किश्तों में भुगतान की दशा में)

1.2 प्रदेशन/आवंटन पत्र के अनुसार निर्धारित अन्तिम तिथि में बैंक में अवकाश होने की स्थिति में बैंक के आगामी कार्य दिवस तक, किश्त की धनराशि/पूर्ण देय धनराशि जमा करने की स्थिति में विलम्ब के कारण उक्त धनराशि पर ब्याज/अतिरिक्त ब्याज देय नही होगा।

1.3 आवंटी किसी भी समय अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या से कम किश्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एकमुश्त जमा करके किश्तों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी के स्तर से दी जा सकती है। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एकमुश्त जमा किया जा सकता है।

1.4 सम्पत्ति आवंटन हेतु प्रदेशन पत्र/मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर 50 प्रतिशत धनराशि एवं शेष धनराशि 2 वर्ष की त्रैमासिक किश्तों में दिनांक 01.04.2020 को SBI की प्रभावी ब्याज दर MCLR (7.95%)+1% के अनुसार देय होगी। आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 50 प्रतिशत धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में ऑनलाईन जमा की जा सकेगी।

1.5 किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर दिनांक 01.04.2020 को SBI की प्रभावी ब्याज दर MCLR (7.95%)+1% सामान्य ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से देय होगा। आवंटी द्वारा समयानुसार भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार पंजीकरण/आवंटन के निरस्तीकरण एवं कटौती की कार्यवाही की जायेगी।

1.6 समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/RTGS/NEFT एवं ऑनलाईन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक ''उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मेरठ''/UPAVP Meerut के नाम से देय हो, के पक्ष में होना चाहिये। उक्त धनराशि प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय होगी।

नोटः— क्रमांक 1.5 एवं 1.6 एक मुश्त भुगतान एवं किश्तों में भुगतान दोनों दशा में अनुमन्य होंगे।

2. आवंटन नियम

2.1 प्रथम चरण में एक मुश्त भुगतान पर प्राप्त आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा से एवं उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है तो किश्तों पर प्राप्त आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा से सम्पन्न होगा।

2.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा पात्रता चयन की कार्यवाही की जायेगी। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिशद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासम्भव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

2.3 लाटरी ड्रा से एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाईट www.upavp.in पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसमें लाटरी ड्रा हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो आवेदक पंजीकृत डाक से/व्यक्तिगत अथवा ई–मेल emomrt@upavp.com से कार्यालय को सूचित करेंगे, तदानुसार परीक्षणोंपरान्त उसका निराकरण सम्बंधित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा ससमय किया जा सकेगा अन्यथा की स्थिति में लाटरी ड्रा की तिथि एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा।

2.4 सम्पत्ति के विरूद्ध प्राप्त पंजीकृत आवेदनों की सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी की पृथक–पृथक सूची तैयार की जायेगी।

2.5 सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी ड्रा के नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाईट www.upavp.in पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी।

2.6 लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।

2.7 लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात परिषद वेबसाईट www.upavp.in पर यथासम्भव उसी दिन अथवा आगामी कार्य दिवस में प्रसारित कर दी जायेगी तथा आवंटन पत्र पंजीकृत डाक/व्यक्तिगत/ऑनलाईन के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

2.8 आवंटित भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त भूखण्ड पर निर्माण हेतु मानचित्र प्रस्ताव ऑनलाईन वेबसाईट www.upobpas.in पर आवेदन उपविधि–2008 यथा संशोधित–2016 के प्राविधानों के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।

2.9 जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लंघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जा सकेगी।

2.10 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण लाटरी ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।

2.11 सम्पत्तियों के नम्बरिंग ड्रा/आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा।

2.12 शासन/परिषद द्वारा समय–समय पर किये गये परिवर्तन लागू होंगे। इस सम्बंध में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.2 आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

3.3 भूखण्ड के पंजीकरण हेतु आवेदकों के लिए आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं होगा।

3.4 आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय भूखण्ड के आवंटन हेतु पात्र होगा।

3.5 आवेदक या उसके परिवार के पास उन नगर में जहां आवासीय भूखण्ड क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की कोई सम्पत्ति न हो तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में एक से अधिक सम्पत्ति न हो।

4. ऑफलाइन पंजीकरण के नियम

4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय कर आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि तक पूर्ण वांछित संलग्नकों व पंजीकरण धनराशि सहित, जमा करना होगा।

4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति–पत्नी के लिए संयुक्त रूप से पंजीकरण अनुमन्य है।

4.4 यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता लाटरी ड्रा की तिथि से पूर्व अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है, तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

4.5 आवासीय सम्पत्ति हेतु चयनित आवेदक/आवंटी द्वारा मांग पत्र/आवंटन पत्र (जो भी पहले हो) के जारी होने की तिथि से 03 माह के अन्दर सम्पत्ति निरस्तीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, तो पंजीकरण धनराशि का 20.00 प्रतिशत तथा तीन माह के बाद आवेदन करने पर 50.00 प्रतिशत कटौती करते हुये शेष धनराशि NEFT/RTGS द्वारा आवेदक को वापस कर दी जायेगी तथा सम्पत्ति आगामी आवंटन में लगा दी जायेगी। इस शर्तों का उल्लेख आवंटन पत्र में भी किया जायेगा।

4.6 उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा।

4.7 अनुबन्ध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही परिषद विनियमावली की शर्तों के अधीन होगी।

4.8 प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त से योजना संचालित न होने की स्थिति में एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खातों पर संदेय ब्याज के अनुसार ब्याज देय होगा।

4.9 विकास कार्य एवं भौतिक कब्जे में विलम्ब की स्थिति में भू–सम्पदा विनियम एवं विकास अधिनियम के प्राविधानों के अधीन कार्यवाही/क्षतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

5. ऑनलाइन पंजीकरण के नियम

5.1 आन–लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration For Plot /Houses Meerut" पर क्लिक करना होगा।

5.2 इसके पश्चात खुलने वाले वेब–पेज के लिंक "Plot/Houses at Meerut" पर क्लिक करना होगा।

5.3 आवेदक द्वारा संबंधित योजना/भूखण्ड की समस्त जानकारियॉ भली–भॉति पढ़कर "Apply Online" लिंक पर क्लिक करना होगा।

5.4 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति–पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है।

5.5 यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

5.6 यदि कोई आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु निर्गत मांग पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। पात्रता चयन की तिथि से 3 माह के बाद निरस्तीकरण की दशा में पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी तथा अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

5.7 उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तो के अनुसार अनुबंध निष्पादन किया जायेगा।

5.8 अनुबंध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही परिषद विनियमावली की शर्तो के अधीन होगी। अवशेष धनराशि बिना ब्याज के RTGS/NEFT के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित होगी।

5.9 आवंटन पत्र मे निर्धारित तिथि के अन्दर वांछित औपचारिकतायें पूर्ण न करने पर परिषद विनियम के तहत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

6. आरक्षण

क्र0 सं0	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अर्न्तगत उल्लिखित जातियाँ ही पात्र होगी। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	----------तदैव----------
3	अन्य पिछडा वर्ग	27	----------तदैव----------
4	मा0 विधायक /सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राविधकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकारण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अर्न्तगत कार्यरत हों एवं न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
7	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेन्शन पेपर का प्रमाण-पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
8	समाज के दिव्यांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

नोटः- उपरोक्त मे से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगें लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशो के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

श्रेणी

6.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण को कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्व अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

6.2 उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे, उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

7. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

7.1 भूखण्डों में लाटरी ड्रा के पश्चात असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण धनराशि यथासंभव एक माह के अन्दर परिषद द्वारा निर्धारित बैंक द्वारा सीधे आवेदक के बचत खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

8. भूखण्ड का भौतिक कब्जा

8.1 आवंटन लाटरी मे सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रदेशन पत्र निर्गमन की कार्यवाही व्यवहारित की जायेगी। उक्त के उपरान्त सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय मे उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्रीकरार (Agreement to sale) निष्पादित/पंजीकृत कराना होगा।

8.2 भूखण्डों का भौतिक कब्जा 36 माह में दिया जायेगा।

8.3 आवेदक द्वारा नियमानुसार भूखण्ड का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान पंजीयन/सेलडीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प डयूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबंधन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

8.4 प्रदेशन पत्र में अंकित दिनांक तक वांछित औपचारिकतायें विलम्ब से पूर्ण करने पर विलम्ब शुल्क तथा कब्जा पत्र जारी होने के बाद निर्धारित तिथि तक भौतिक कब्जा न लेने पर, विलम्ब अवधि हेतु, रखरखाव शुल्क नियमानुसार प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त देय होगा।

8.5 कब्जा प्राप्त करने की तिथि से नियमानुसार जल शुल्क/यूजर चार्ज आवंटी द्वारा देय होगा।

8.6 प्राकृतिक आपदा/अपरिहार्य कारणोंवश व्यवधान होने की स्थिति में पूर्णता तिथि रेरा की अनुमति से बढ़ायी जा सकेगी, जो आवंटियों पर प्रभावी होगी।

9. तथ्यों का छिपाना

9.1 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबंधन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिशद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

10. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्त

10.1 विषयगत योजना आवासीय है अतएव भूखण्ड का प्रयोग केवल आवासीय ही किया जायेगा। शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर विक्रय–विलेख एवं आवंटन/पंजीकरण निरस्तीकरण के साथ ही साथ विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

10.2 पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों अथवा आवेदक द्वारा नियुक्त नामिनी के पक्ष में वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा आवेदक उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो।

10.3 इन विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों के लिए, सम्बंधित नगर स्थित, दीवानी न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा।

10.4 परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा–उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

10.5 किसी भी सम–सामायिक संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशः-

1 आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते है। आवेदन पत्र काले/नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जाये।

2 आवेदन पत्र में नाम हिन्दी अग्रेंजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जायें।

3 अंग्रेजी में सूचना भरते समय अपेक्षित है इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़ें अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते है।

4 अंकों के अन्तराष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें। जैसें: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति–पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।

6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।

7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान/ब्लाक छोड़ा जायें।

8 आवेदन पत्र में, अंकित लिग (SEX) कालम में पुरूष हेतु M एवं महिला हेतु F भरें। संयुक्त आवेदन की स्थित में (पति–पत्नी) हेतु HW भरें।

9 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा। आरक्षित आवेदक को आरक्षण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
(अनारक्षित) सामान्य वर्ग	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
समाज के दिव्यांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O

नोट :– आरक्षण वर्ग के आवेदकों को, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहां–जहां वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगेः–

आवेदक का परिवारः–

इसमें स्वयं आवेदक/इच्छुक क्रेता, उसकी पत्नी/पति तथा आवश्यक बच्चे सम्मिलित हैं।

भूखण्डः–

भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्तिः–

सम्पत्ति का तात्पर्य विकसित/निर्मित आवासीय भूखण्ड से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना):–

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बंधित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरणपत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बंधित जानकारी दी गयी हैं।

पंजीकरण का दौरः–

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्यः–

उ0प्र0 राज्य की सेवा तथा इनके अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकाय में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, से है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैः–

1– जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इनकार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिए रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतो की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो या वीरगति प्राप्त की हो।

2– जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्यः–

सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जातिः—

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

नेत्रहीन तथा दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्यः—

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन/दिव्यांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्यः—

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है, जिनकी न्यूनतम दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्यः—

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्यः—

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों, जिनकी दो वर्ष सेवा अवधि पूरी हो।

विनियामक प्राधिकरण का तात्पर्यः—

उत्तर प्रदेश भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से है।

MCLR+1: का तात्पर्यः—

दिनांक 01.04.2020 को प्रभावी एस0बी0आई0 की MCLR से ब्याज की गणना की जायेगी।

Marginal cost of funds based lending rate is in simple works. Fixed the interest rate on floating rate Loans.

आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

आरक्षण श्रेणी	कोड
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछला वर्ग	03
(अनारक्षित) सामान्य वर्ग	04

हारिजेन्टल आरक्षण	कोड
वर्तमान विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो	G
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका	B
समाज के दिव्यांग व्यक्ति	D
वरिष्ठ नागरिक (वृद्धजन)	O

शहर	कोड
मेरठ	m

लिंग	कोड
स्त्री	F
पुरूष	M
अन्य	T
संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति–पत्नी)	HW

भुगतान	
एक मुश्त भुगतान	1
किश्त	2
सम्पत्ति का प्रकार	आवासीय भूखण्ड

आनलाइन/आफलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

क्रमांक	बैंक का नाम एवं पता	सम्बंधित अधिकारी	दूरभाष नं0
1	**HDFC BANK** **171/1 SURYANSH PLAZA** **TARUKUNJ, GARH ROAD,** **MEERUT-250001**	**PRAVEEN RANJAN PRATAP SINGH**	**9358242286**

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें

इं0 राजीव कुमार
अधीक्षण अभियन्ता
मेरठ
मो0 नं0: 8588877002

इं0 एम0बी0 कौशिक
अधिशासी अभियन्ता
नि0खं0, मेरठ–01
मो0 नं0: 9818214196

सुश्री शेरी
उप आवास आयुक्त
मेरठ जोन, मेरठ
मो0 नं0: 8795810007

श्री सुभाष मौर्य
सम्पत्ति प्रबन्धक
मेरठ
मो0 नं0: 8795811050

रू0-10.00 के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

शपथ-पत्र

समक्षः-आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

मै श्री/श्रीमती/कु0 .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... उम्र .... निवासी .... शपथ पूर्वक ब्यान करता/करती हूँ किः–

1 मैं एतदद्वारा शपथ पूर्वक करता / करती हूँ कि मैने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तो दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।

2 मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे के उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की किसी भी योजना के अन्तर्गत और उ.प्र. के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं हैं।

3 जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिए मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड / भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना में तुरन्त परिषद को दूँगा / दूँगी।

4 मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष 2020–21 (पंजीकरण भरते समय की तिथि के पूर्व के वर्ष का उल्लेख करें) में समस्त स्रोतों से मेरी कुल आय वार्षिक (रु. ....) थी जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित सम्बन्धियों की आय सम्मिलित है।

5 मैं .... यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री / श्रीमती .... जो रिश्ते में मेरे / मेरी .... हैं एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता /करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री /श्रीमती .... जो मेरे /मेरी .... है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता / करती हूँ।

6 मैं एतद्द्वारा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 5 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझकर परिषद् को दिया है तो परिषद् को मेरे विरूद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने का, जो उपयुक्त समझे, अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतदद्वारा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

भूखण्ड के आनलाइन पंजीकरण हेतु
आवश्यक दिशा–निर्देश

पंजीकरण आवेदन शुल्क रू0 1000/– (रूपये एक हजार) जी0एस0टी0 सहित आनलाईन जमा करना होगा।

आन–लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम वेबसाईट www.upavp.in पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration for Plot" पर क्लिक करना होगा।

इसके पश्चात खुलने वाले वेब–पेज के लिंक Meerut पर क्लिक करना होगा।

आवेदक द्वारा सम्बंधित योजना/भूखण्ड की समस्त जानकारियां भली–भांति पढकर "Apply Online" लिंक पर क्लिक किया जायेगा।

तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेब पेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से सम्बंधित मुख्य जानकारियां (Basic Information) यथा–नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई–मेल, इच्छित भूखण्ड आदि विवरण आन–लाईन अपलोड/फीड किये जायेंगे।

उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।

'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन–लाईन पंजीकरण से सम्बंधित विवरण, यूजर आई0डी0/पासवर्ड के साथ–साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा–निर्देश सहित प्राप्त होंगे।

उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1) की ई–रसीद (e-Receipt) बटन का प्रिन्ट आउट भविष्य के संदर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट–आउट में अंकित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घण्टे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:–

- ✓ Visit website www.upavp.in& click on link "Online Registration of Plots"
- ✓ Click on link "Registration Fee Payment" on concerning scheme's webpage.
- ✓ Select payment category as 'Registration' and provide Registration ID, then click on 'Submit' button.
- ✓ Provide the required necessary details & click 'Submit'
- ✓ After clicking on 'Confirm' button' .... Bank MOPS*' will be available.
- ✓ Applicant can choose anyone option for making payment.

परिषद में ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन–सुविधा केन्द्र की स्थापना की है, जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

डायल करें:

1800–180–5333 (टोल फ्री)

0522–2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक उपलब्ध है।

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय

IS 15700 : 2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : http://www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com

विस्तृत जानकारी परिषद के

टोल फ्री 1800-180-5333 **दूरभाष 0522-2236803**

पर सम्पर्क करें या परिषद की वेबसाइट पर लॉगिन करें।

मूल्य ₹ 1000/– (जी.एस.टी. सहित)